LL.B.6Sem.(C.P.C.)

CHAPTER -(APPEALS.)

By- Banshlochan Prasad.

Scanned with CamScanner

मूल डिक्रियों की अपीलें (धारा 96 से 99-A)

अपील किसे कहते हैं ? यह कितने प्रकार का होता है ? अपील कौन कर सकता है ? प्रथम अपील से सम्बंधित प्रक्रिया की विवेचना कीजिये |

सुसंगत प्रावधान – **धारा 96 से 99-A** तथा **आदेश 41** में इसका प्रावधान किया गया है |

उद्देश्य – अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय में किये गये त्रुटियों को चेक करना ही अपील का उद्देश्य है |

अपील से तात्पर्य – अपील वस्तुतः एक परिवाद है जिसमें वरिष्ठ न्यायालय से यह अनुरोध किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गयी डिक्री में प्रकट त्रुटि को सुधारा जाये |

अपील के अधिकार की प्रकृति – **सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनाम वी. सुब्बा रेड्डी** के मामले में **उच्चतम न्यायालय** ने कहा कि, "अपील का अधिकार एक सारभूत अधिकार है न कि प्रक्रिया सम्बन्धी अधिकार |"

अपील साधिकार नही की जा सकती
|

गरिका पट्टी वीराय्या बनाम सुब्बिया चौधरी के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील का अधिकार किसी पक्षकार में उस दिन ही निहित हो जाता है जिस दिन वह वाद संस्थित करता है |

Scanned with CamScanner

मेसर्स रामनारायण प्राइवेट लिमिटेड बनाम ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, 1983 के मामले में कहा गया कि अपील का अधिकार संविधान या परिनियम द्वारा सृजित अधिकार है, कोई भी पक्षकार उपर्युक्त विधि के प्रावधान के बिना, आधिकारिक रूप में किसी निर्णय, आदेश, डिक्री के विरुद्ध अपील नही कर सकता |

स्टेट ऑफ़ बाम्बे बनाम सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज के मामले में एक नये अधिनियम के माध्यम से वर्तमान अपील के अधिकार का ह्रास नही किया जा सकता |

लक्ष्मण मारोत राव नवखरे बनाम केशव राम इकनथसा के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विशेष अनुमति से अपील के सन्दर्भ में **उच्चतम न्यायालय** ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान का **अनुच्छेद 136** अपील का अधिकार नही प्रदान करता अपितु अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन देने का अधिकार प्रदान करता है | उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति देने की शक्ति वैवेकिक है | **अनुच्छेद 136** के वैवेकिक अधिकार का अर्थ यह नही लगाया जाना चाहिए कि वह उन स्थितियों में अपील का अधिकार प्रदान करता है जहां अपील का कोई अधिकार नही है |

<u>अपील के प्रकार</u> – संहिता के अंतर्गत निम्न प्रकार के अपीलों की व्यवस्था की गयी है –

1. जहां वाद की विषय-वस्तु 'डिक्री' है, तथा

2. जहां वाद की विषय-वस्तु 'आदेश' है |

1. <u>जहां वाद की विषय-वस्तु डिक्री है</u> – इस स्थिति में अपील दो प्रकार की होती है –

Scanned with CamScanner

1. <u>**जहां वाद की विषय-वस्तु डिक्री है**</u> – इस स्थिति में अपील दो प्रकार की होती है –

a. मूल डिक्रियों की अपील या प्रथम अपील (**धारा 96 से 99-A तथा आदेश 41**)

b. अपीलीय डिक्रियों की अपीलें या द्वितीय अपील (**धारा 100 से 103 और आदेश 42**)

2. <u>**जहां वाद की विषय-वस्तु आदेश है**</u> – इस स्थिति में भी अपील दो प्रकार की होती है –

a. आदेशों की अपीलें (**धारा 104 से 106 और आदेश 43**)

b. उच्चतम न्यायालय में अपीलें (**धारा 109 से 112 और आदेश 45**)

<u>**अपील कौन कर सकता है ?**</u>

1. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो डिक्री से व्यथित हो – **अमर सिंह बनाम पंजाब राज्य** के मामले में कहा गया कि यहाँ पर **'व्यथित'** से तात्पर्य न केवल वाद के पक्षकारों से है अपितु ऐसे व्यक्तियों से भी है जिन पर इस विनिश्चय से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है |

2. कार्यवाही के किसी पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि

3. वह व्यक्ति जिसे डिक्री अंतरित की गयी है

<u>**अपील किये जाने की आवश्यक शर्तें**</u> – **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के अंतर्गत अपील करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए –

Scanned with CamScanner

1. कार्यवाही की विषय-वस्तु डिक्री होनी चाहिए |

2. दिए गये विनिश्चय से किसी पक्षकार के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होनी चाहिए |

अपील का प्रारूप (आदेश 41 नियम 1 उपनियम 1) – अपील दाखिल करने के लिए **एक प्रपत्र** की आवश्यक होती है | उसे '**अपील का ज्ञापन**' कहते हैं | हर अपील, अपील के एक ज्ञापन के रूप में की जायेगी जो अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित होती | ज्ञापन के साथ उस डिक्री की एक प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील की जाती है |

मूल डिक्रियों की अपीलें या प्रथम अपील (धारा 96 से 99-A तथा आदेश 41) –

1. धारा 96 के अंतर्गत ऐसे सभी डिक्रियों की अपील की जा सकती है जिसे प्राथमिक अधिकारिता वाले न्यायालय ने पारित किया हो | इस प्रकार की डिक्री को प्रारम्भिक डिक्री कहा जाता है | ऐसी डिक्री में निम्नलिखित सम्मिलित नही है –

a. ऐसी डिक्री जो पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर पारित की गयी है | अर्थात ऐसी डिक्री जो सहमति के आधार पर डिक्री है उसकी अपील नही की जा सकती है | **साक्ष्य अधिनियम** की **धारा 44** इस सन्दर्भ में प्रावधान करता है |

b. ऐसी कोई भी डिक्री जो लघुवाद न्यायालय द्वारा पारित की गयी है तथा वाद की विषय-वस्तु का मूल्यांकन 10,000 रूपये (**2002 का संशोधन**) से अधिक न हो, इस प्रकार की डिक्री की अपील नही की जा सकती | इस मामले में तभी अपील होगी जब उसमे कोई विधि का प्रश्न है |

Scanned with CamScanner

'लघुवाद न्यायालय' के द्वारा पारित की गयी डिक्री की भी अपील की जा सकती है परन्तु जब निम्नलिखि**त दो शर्तें** पूरी होती हो –

I - ऐसी डिक्री की विषय-वस्तु का मूल्य 10000 रूपये से अधिक हो, या

II - उसमे कोई विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो |

नोट – दोनों शर्तों में से केवल एक की मौजूदगी, अपील के किये जाने की आवश्यकता की पूर्ति कर देगी |

धारा 96(2) के अनुसार एकपक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी |

2. जहां प्रारम्भिक डिक्री की अपील नही की गयी है वहां अंतिम डिक्री की अपील (धारा 97) – धारा 97 के अंतर्गत प्रारम्भिक डिक्री की अपील यदि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नही की जाती है तो अंतिम डिक्री की अपील करते समय प्रारम्भिक डिक्री की विधिमान्यता का प्रश्न नही उठाया जा सकता है | यह धारा विबंध के सिद्धांत पर आधारित है |

3. जहां अपील दो या दो से अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाये वहाँ विनिश्चय (धारा 98) – धारा 98(1) में सामान्य नियम दिया गया है कि जहां कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाती है वहां अपील का विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की या ऐसे न्यायाधीशों की बहुसंख्या यदि हो, की राय के अनुसार होगा |

किन्तु **उपधारा 2** के अनुसार जहां ऐसी संख्या नही है जो अपीलीय डिक्री में फेरफार करने या उसे उलटने वाले निर्णय से

Scanned with CamScanner

किन्तु **उपधारा 2** के अनुसार जहां ऐसी संख्या नही है जो अपीलीय डिक्री में फेरफार करने या उसे उलटने वाले निर्णय से सहमत हो, वहां ऐसी डिक्री पुष्ट कर दी जायेगी |

धारा 98(3) के अनुसार इस धारा का कोई प्रभाव किसी उच्च न्यायालय के पेटेंट उपबंध पर नही होगा |

धारा 98(2) का परन्तुक यह उपबंधित करता है कि यदि अपील सुनने वाले न्यायाधीशों में किसी प्रश्न पर मतभेद है तो उस प्रश्न का विनिश्चय उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा किया जाएगा |

4. <u>जहां डिक्री पारित करते समय कोई अनियमितता इत्यादि की गयी है (धारा 99)</u> – कोई भी डिक्री जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, उसे निम्नलिखित कारणों से या आधारों पर, न तो उलटी जायेगी न ही उसमे सारभूत फेरफार किया जाएगा और न ही कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय (जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील की गयी है) को प्रतिप्रेषित किया जाएगा –

a. पक्षकारों का कुसंयोजन या असंयोजन

b. वाद हेतुकों का कुसंयोजन या असंयोजन, तथा

c. अधीनस्थ न्यायालय (जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील की गयी है) की कार्यवाहियों में ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता जिससे मामले के गुणावगुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नही पड़ता है | अधीनस्थ न्यायालय की किसी कार्यवाही में पद **'गलती या त्रुटि'** या **'अनियमितता'** के अंतर्गत वादपत्र का हस्ताक्षर और सत्यापन (जैसा **आदेश 6 नियम 14** और **15** में बताया गया है) आता है |

Scanned with CamScanner

परन्तु जहां अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में किसी आवश्यक पक्षकार का असंयोजन है वहां **धारा 99** के उपबंध लागू नही होंगे | दूसरे शब्दों में यदि अधीनस्थ न्यायालय में वाद के किसी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नही बनाया गया है तो किसी डिक्री को उलट देने का यह समुचित आधार होगा |

5. धारा 99-A, धारा 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उलटा नहीं जाएगा या उपांतरित नही किया जाएगा जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है |

अपीलीय डिक्रियों की अपीलें या द्वितीय अपील (धारा 100 से 103 और आदेश 42) –

सारवान विधिक प्रश्न के सिद्धांत की विवेचना कीजिये, जिसके आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील दायर की जा सकती है | क्या निम्नलिखित मामलों में द्वितीय अपील दायर की जा सकती है ? कारण सहित बताईये ?

1. एकपक्षीय डिक्री

2. विधि के विपरीत डिक्री होने पर

3. तथ्य के निर्णय से निकले विधिक अनुमानों पर

4. विधि की शक्ति प्राप्त रीति-रिवाज

"अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में पारित ऐसी डिक्री जिसमें विधि एवं तथ्य के सारवान प्रश्नों को सुनने का लोप किया गया है, के आधार पर उच्च न्यायालय में की जा सकने वाली अपील को '**द्वितीय अपील**' कहते हैं |"

Scanned with CamScanner

सुसंगत प्रावधान – संहिता की **धारा 100 से 103** तथा **आदेश 42** में इसका प्रावधान किया गया है |

उद्देश्य – द्वितीय अपील के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. अनावश्यक मुकदमेबाजी का निवारण करना

2. वादी को त्वरित न्याय सुनिश्चित करना

क्षेत्र – प्रथम अपील का क्षेत्र विस्तृत है और द्वितीय अपील का सीमित (**संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा द्वितीय अपील का क्षेत्र सीमित कर दिया गया) क्योंकि प्रथम अपील में यह आक्षेप उठाया जा सकता है कि डिक्री में तथ्य सम्बन्धी एवं विधि सम्बन्धी कमियाँ या त्रुटियाँ हैं और अपीलीय न्यायालय दोनों प्रश्नों का निर्धारण कर सकता है परन्तु द्वितीय अपील में जो **धारा 100** के अधीन की जाती है में **उच्च न्यायालय** तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों का निर्धारण नही कर सकता |

द्वितीय अपील कहाँ की जाती है - द्वितीय अपील हमेशा **उच्च न्यायालय** में की जाती है |

द्वितीय अपील के आधार –

1. उसके सिवाय जैसा कि इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है |

2. एकपक्षीय पारित अपीलीय डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी |

Scanned with CamScanner

2. एकपक्षीय पारित अपीलीय डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी।

3. इस धारा के अधीन अपील में अन्तर्वलित विधि के उस सारवान प्रश्न का अपील के ज्ञापन में संक्षिप्ततः कथन किया जाएगा।

4. जहां उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में सारवान विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है तो वह उस प्रश्न को व्यवस्थित अथवा विनिश्चित करेगा।

5. अपील इस प्रकार बनाए गये प्रश्न पर सुनी जायेगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में यह तर्क उठाने की अनुज्ञा दी जायेगी कि ऐसे मामलों में ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित नही है।

निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय अपील केवल विधि के प्रश्नों पर होती है तथा तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों का निर्धारण द्वितीय अपील में नही किया जा सकता है।

परन्तु निम्नलिखित आधार पर तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों के निर्णयों को भी द्वितीय अपील में चुनौती दी जा सकती है, जहां पर प्रश्न यह है कि क्या –

1. संव्यवहार बेनामी है ? या
2. संव्यवहार बनावटी है ? या
3. संव्यवहार वास्तविक है ? या
4. संव्यवहार अनुचित प्रभाव से दूषित है ? या
5. क्या अभियोजन के लिए युक्तियुक्त और संभाव्य कारण है ? या
6. क्या वहां उपेक्षा की गयी थी ? या
7. क्या वहां विभाजन हुआ था ?

Scanned with CamScanner

<u>**विधि का सारवान प्रश्न**</u> – पदावली '**विधि का सारवान प्रश्न**' संहिता में कही भी परिभाषित और स्पष्टीकृत नही है | सारवान विधि प्रश्न की व्याख्या **उच्चतम न्यायालय** ने अपने महत्वपूर्ण विनिश्चय **चुन्नी लाल बी. मेहता बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड** के वाद में किया –

इस मामले में **न्यायमूर्ति गजेन्द्र गड़कर** ने निर्णीत किया कि, "किसी मामले में उठाया गया विधि का सारवान प्रश्न क्या है इसके निर्धारण के लिए, हमारी राय में उचित परीक्षण यह होगा कि क्या ऐसा प्रश्न व्यापक सार्वजनिक महत्व का है या क्या ऐसा प्रश्न पक्षकारों के अधिकारों को प्रत्यक्षतः या सारतः प्रभावित करता है ? और यदि ऐसा है तो क्या यह इस अर्थों में खुला हुआ प्रश्न है कि ऐसे प्रश्न न्यायालय द्वारा या **प्रीवी कौंसिल** द्वारा या **फेडरल न्यायालय** द्वारा अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया है या क्या ऐसा प्रश्न कठिनाईयों से मुक्त नही है या क्या इसमें वैकल्पिक विचार की विवेचना भी अपेक्षित है | यदि प्रश्न का निपटारा **उच्चतम न्यायालय** द्वारा कर दिया गया है या ऐसे प्रश्न के अवधारण में लागू किये जाने वाले सामान्य सिद्धांतो का पूर्णरूपेण निर्धारण कर दिया गया है और यही प्रश्न मात्र उन सिद्धांतो को लागू करने का है या मामले में उठाया गया तर्क स्पष्ट रूप से असंगत है तो ऐसा प्रश्न विधि का सारवान प्रश्न नही होगा |"

रघुनाथ प्रताप सिंह बनाम डिप्टी कमिश्नर, प्रतापगढ़, 1927 के मामले में कहा गया कि, "यह आवश्यक नही है कि विधि का सारवान प्रश्न सामान्य महत्व का हो, अतः विधि का सारवान प्रश्न ऐसा प्रश्न हो जो पक्षकारों में मध्य सारवान हो |"

विधि का सारवान प्रश्न वह प्रश्न है जो विनिश्चय को एक पक्ष या दूसरे पक्ष के प्रति झुका सकता है | ऐसा प्रश्न जो विनिश्चय को

Scanned with CamScanner

दूसरे पक्ष के प्रति झुका सकता है। ऐसा प्रश्न जो विनिश्चय को प्रभावित नहीं करता, सारवान प्रश्न नहीं कहा जा सकता।

"कोई प्रश्न सारवान है या नहीं, यह तथ्य एवं परिस्थिति का प्रश्न है।"

दृष्टांत स्वरूप निम्नलिखित प्रश्नों को विधि के सारवान प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है –

1. साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रश्न

2. अभिलेख पर साक्ष्य के अभाव में निष्कर्ष अभिलिखित करना

3. अनुचित प्रश्न पर सिद्धभारिता नियत करना

4. ऐसा कोई प्रश्न जिनपर न्यायालयों में मतान्तर हो

5. सारवान दस्तावेजो का निर्वाचन न करना

6. **आदेश 41 नियम 27** के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को निस्तारित करने से पूर्व अपील को निस्तारित करना।

द्वितीय अपील की सीमायें – द्वितीय अपील पर निम्नलिखित सीमायें अधिरोपित की गयी है –

1. द्वितीय अपील में कोई नया मामला प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

2. द्वितीय अपील में किसी नये अभिवचन को शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

द्वितीय अपील पत्रक – द्वितीय अपील के पत्रक में विधि का

Scanned with CamScanner

द्वितीय अपील पत्रक – द्वितीय अपील के पत्रक में विधि का सारवान प्रश्न संक्षिप्ततः अभिकथित किया जाना चाहिए | अपील के आधार अर्थात आपत्ति का आधार अंकित किया जाना अपेक्षित नहीं है | समाधान हो जाने पर न्यायालय विधि का प्रश्न सूत्रबद्ध करेगा | अपील की सुनवाई इसी प्रश्न तक सीमित रहेगी | अपीलकर्ता किसी अन्य आधार पर निवेदन नहीं कर सकता जब तक कि न्यायालय द्वारा अनुमति न दे दी गई हो | इस आधार पर कि विधि का सारवान प्रश्न सूत्रबद्ध नहीं किया गया है अपील ख़ारिज की जा सकती है |

द्वितीय अपील की प्रकृति एवं क्षेत्र –

1. द्वितीय अपील किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में पारित आज्ञप्ति उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी यदि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो | **{धारा 100(1)}**

2. एकपक्षीय पारित अपील आज्ञप्ति के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकेगी | **{धारा 100(2)}**

3. अपील प्रपत्र में, मामले में अंतर्विष्ट विधि का सारवान प्रश्न संक्षिप्ततः अभिकथित किया जाएगा | **{धारा 100(3)}**

4. उच्च न्यायालय संतुष्ट होने पर मामले में अंतर्विष्ट विधि का सारवान प्रश्न सूत्रबद्ध करेगा | **{धारा 100(4)}**

5. द्वितीय अपील उच्च न्यायालय द्वारा सूत्रबद्ध किये गये केवल विधि के प्रश्न पर सुनी जायेगी | **{100(5)}**

6. अपील की सुनवाई के समय प्रतिवादी यह तर्क दे सकता है कि मामले में ऐसा कोई सारवान प्रश्न (जो उच्च न्यायालय द्वारा

Scanned with CamScanner

6. अपील की सुनवाई के समय प्रतिवादी यह तर्क दे सकता है कि मामले में ऐसा कोई सारवान प्रश्न (जो उच्च न्यायालय द्वारा सूत्रबद्ध किया गया है) अंतर्विष्ट नहीं है | **{धारा 100(5)}**

7. उच्च न्यायालय ऐसे किसी विधि के सारवान प्रश्न पर सुनवाई कर सकता है जो उसके द्वारा सूत्रबद्ध नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय को इसके लिए कारण अभिलिखित करने होंगे | **{धारा 100(5) परन्तुक}**

8. कोई भी द्वितीय अपील सिवाय **धारा 100** में वर्णित आधार के किसी अन्य आधार पर प्रस्तुत नहीं की जा सकती | **(धारा 101)**

9. किसी वाद में द्वितीय अपील न होगी, यदि मूलवाद के विषय-वस्तु का मूल्य या राशि 25,000 रूपये (1-07-2007) से अधिक न हो, भले ही सारवान विधि प्रश्न हो |

उच्च न्यायालय की विवाद्यक स्थिर करने की शक्ति (धारा 103) – **धारा 103 संशोधन अधिनियम, 1976** के द्वारा जोड़ी गयी है | इस धारा के अनुसार **उच्च न्यायालय** किसी द्वितीय पुनर्याचन (अपील) में अभिलेख का पर्याप्त साक्ष्य होने पर ऐसे किसी विवाद्यक को स्थिर कर सकता है, जो अपील के निस्तारण के लिए आवश्यक है | **उच्च न्यायालय** केवल ऐसे विवाद्यक ही विनिश्चित कर सकता है जिसे अधीनस्थ अपील न्यायालय ने या नीचे के दोनों न्यायालयों ने विनिश्चित नही किया है | **उच्च न्यायालय** ऐसे किसी विवाद्यक को भी विनिश्चित कर सकेगा जिसे अधीनस्थ न्यायालयों ने (या नीचे के दोनों न्यायालयों ने) विधि के सारवान प्रश्नों पर विचार करते हुए अनुचित रूप से विनिश्चित कर दिया है |

Scanned with CamScanner

रामतल V/s मरुतातल और अन्य S.C. (सिविल अपील संख्या 10741/2017) [SLP (C) No. 18738/2014] प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी, जो वाद में वादी था (जिसे इस वाद में क्रेता कहा गया है) और प्रत्यर्थी, जो प्रतिवादी था (जिसे इस वाद में विक्रेता कहा गया है जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो) ने **10 दिसंबर, 1986** को एक संपत्ति के विषय में विक्रय करार किया | संपत्ति का मूल्य 101000 प्रति एकड़ नियत किया गया तथा अग्रिम रकम के रूप में 40,000 संदत्त कर दिया गया | करार के नियमों के अनुसार इस संव्यवहार को पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय नियत किया गया था तथा करार में यह बात भी कही गयी थी कि विक्रेता उक्त संपत्ति के सीमाओं की शिनाख्त करने के लिए सर्वेक्षण करेगा | लेकिन इस शर्त का विक्रेता द्वारा अनुपालन नही किया गया | इसके बाद क्रेता ने उक्त संविदा को पूरा करने के लिए विक्रेता को **26 सितम्बर, 1987** को नोटिस भेजा | विक्रेता ने इसे निरंतर इंकार किया इसके बाद क्रेता ने **10 दिसंबर, 1986** को हुए इस संव्यवहार के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट पालन कराने की इच्छा करते हुए वाद संस्थित किया | विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण विचारण के पश्चात विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री पारित कर दिया | असफल विक्रेता (प्रतिवादी) ने अपील न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल किया जिसने विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दिया |

विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यही निष्कर्ष निकाला गया था कि विक्रेता द्वारा संपत्ति की सीमाओं की शिनाख्त करने के लिए सर्वेक्षण नही किया गया था क्योकि इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया था | इसलिए इन दोनों न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला कि विक्रेता/प्रतिवादी संविदा की अपनी भाग को पूरा करने में असफल रहा | इसके

Scanned with CamScanner

संविदा की अपनी भाग को पूरा करने में असफल रहा | इसके बाद **उच्च न्यायालय** में **दूसरी अपील** की गयी तथा दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने निर्णय को पलटते हुए निचले न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया |

उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि क्रेता विश्वसनीय मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि विक्रेता द्वारा वादग्रस्त संपत्ति की माप और सीमांकन नही किया गया था | उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में दिए गये निर्णय से क्षुब्ध हो कर क्रेता ने **संविधान** के **अनुच्छेद 133** के अंतर्गत **उच्चतम न्यायालय** में इस वर्तमान अपील को फाइल किया जहां उच्चतम न्यायालय ने अपील को मंजूर करते हुए अपने निर्णय में यह कहा कि उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील में तथ्य के प्रश्न पर गलत निर्णय निकाला है तथा इस सम्बन्ध में आगे न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा संविदा के निर्वाचन के बारे में अपनाया गया मत, जिसमे संविदा का निष्पादन, संदाय की बाध्यता से स्वतंत्र था, गलत है और विधि की दृष्टि में इसे कायम नही रखा जा सकता है क्योकि संविदा का सम्पूर्ण रूप से पालन किये जाने की आवश्यकता थी न कि इसके खंडो को जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था इसलिए क्रेता के संदाय की बाध्यता और विक्रेता द्वारा दिए गये मापन (नाप-जोख)पर निर्भर था |

आगे न्यायालय ने यह कहा कि जब दोनों निचले न्यायालय ने यह मत अपनाया था कि ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही है जो यह साबित करे कि सर्वेक्षण किया गया था, तो उच्च न्यायालय को कोई दस्तावेजी साक्ष्य न होने के नाते साक्षियों के मौखिक साक्ष्य को विचार में लेते हुए ऐसे तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नही करना चाहिए था | निर्णायक तथ्य यह था कि सर्वेक्षण नही किया

Scanned with CamScanner

गया था उच्च न्यायालय द्वारा (प्रथम अपील में) दिया गया निर्णय अंतिम हो गया था इसलिए जब एक बार विचारण न्यायालय और प्रथम अपील न्यायालय, जो तथ्य निष्कर्ष निकालने वाले न्यायालय थे, ने यह निष्कर्ष निकाला था कि वादी विक्रय करार का विनिर्दिष्ट पालन कराने का हकदार है, तो उच्च न्यायालय द्वितीय अपील में साक्ष्यों का पुनःमूल्यांकन कर ऐसे तथ्यात्मक निष्कर्ष को उलट नही सकता था |

सिविल प्रक्रिया संहिता की **धारा 100** और **103** को स्पष्ट रूप से पढने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी पर यह भार होता है कि वह अपील के आधारों में विधि के सारवान प्रश्नों का कथन करे उसके बाद उच्च न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि उसके विचार में विधि का सारवान प्रश्न उद्‌भुत हुआ है जिससे विधि के प्रश्न गठित होते हैं और अपील में उसका विनिश्चय किया जाना है | अतः द्वितीय अपील को ग्रहण करने के पूर्व यह शर्त अपेक्षित है कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित होना चाहिए जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन किया जाना है | विधानमंडल का भी आशय द्वितीय अपील में न्यायालय को विधि के सारवान प्रश्न तक ही सीमित रखना है |

यह सम्पूर्ण नियम नही है कि द्वितीय अपील में तथ्य के प्रश्न पर हस्तक्षेप नही किया जा सकता **सिविल प्रक्रिया संहिता** की **धारा 103** उच्च न्यायालय को उस समय साक्ष्य पर विचार करने के लिए समर्थ बनाती है जब उसे निचले न्यायालय द्वारा गलत तौर पर अवधारित किया गया हो जिस पर विधि का सारवान प्रश्न उद्भूत हुआ है | **सिविल प्रक्रिया संहिता** की **धारा 100** में भी यह निर्दिष्ट किया गया है कि जब साक्ष्य का मूल्यांकन करने में तात्विक अनियमितता बरती जाती है और जब यह न्यायालय के निष्कर्षों के प्रतिकूल होता है जो किसी सामाग्री पर आधारित

Scanned with CamScanner

निष्कर्षों के प्रतिकूल होता है जो किसी सामाग्री पर आधारित नही है तो न्यायालय तथ्य के प्रश्न पर भी हस्तक्षेप कर सकता है | जब तक सम्पूर्ण प्रतिकूलता न हो तब तक उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य के प्रश्न पर हस्तक्षेप करना उचित नही होगा | विधानमंडल का आशय इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायालयों को किन्ही भी कारणों से **सिविल प्रक्रिया संहिता** की **धारा 100** के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने की कोई शक्ति नही है |

इस प्रकार अंतिम में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि द्वितीय अपील में विद्वान् न्यायाधीश को साक्ष्य का पुनःमूल्यांकन नही करना चाहिए था | अतः उच्च न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही **सिविल प्रक्रिया संहिता** की **धारा 100** के अधीन प्रदत्त क्षेत्र और अधिकारिता से परे है | इस तरह उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया गया और विचारण न्यायालय के निर्णय को प्रतिस्थापित किया गया | इस सम्बन्ध में **सिविल प्रक्रिया संहिता** की **धारा 100** और **धारा 103** का अवलोकन करना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है –

धारा 100 –

1. उसके सिवाय जैसा कि इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उच्च न्यायालय के अधिनस्त किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है |

2. एकपक्षीय पारित अपीलीय डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी |

3. इस धारा के अधीन अपील में अन्तर्वलित विधि के उस

Scanned with CamScanner

3. इस धारा के अधीन अपील में अन्तर्वलित विधि के उस सारवान प्रश्न का अपील के ज्ञापन में कथन किया जाएगा।

4. जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में सारवान विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है तो वह उस प्रश्न को बनाएगा।

5. अपील इस प्रकार बनाए गये प्रश्न पर सुनी जायेगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में यह तर्क करने की अनुज्ञा दी जायेगी कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित नही है।

धारा 103 – तथ्य विवाधको का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति –

यदि अभिलेख में का साक्ष्य पर्याप्त हो तो किसी भी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसी अपील के निपटारे के लिए आवश्यक कोई विवाधक अवधारित कर सकेगा, जो –

1. निचले अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय और निचले अपील न्यायालय दोनों द्वारा अवधारित नही किया गया है ; अथवा
2. **धारा 100** में यथा निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसे न्यायालय या न्यायालयों द्वारा गलत तौर पर अवधारित किया गया है।

निर्दिष्ट निर्णय – उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में **के. प्रकाश बनाम बी. आर. संपत्त कुमार (2015) 1 एस.सी.सी.597** के वाद को निर्दिष्ट करते हुए निर्णय दिया है।

Scanned with CamScanner